

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे कारिग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृत्ति/SPL-Com.for SC/2024/12343

दिनांक : 06/11/24
अंतिम अवसर

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 में उत्तर मेट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियाँ अथवा आक्षेप होने के कारण स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी/शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन पत्र ऑनलाईन फारवर्ड किया जाना था किन्तु ऑनलाईन फारवर्ड किए जाने कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कतिपय विद्यार्थियों/शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति कर ऑनलाईन फारवर्ड नहीं किया गया है जिसकी वजह से ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः विद्यार्थी हित को दृष्टिगत रखते हुए **अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए** शैक्षणिक सत्र 2016-17 से 2022-23 तक के ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पूर्ण निस्तारण करने हेतु निम्नानुसार अन्तिम तिथियाँ निर्धारित की जाती हैं :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	विद्यार्थियों के स्तर पर आक्षेप/अन्य कारणों से लम्बित आवेदन पत्रों की आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थान को ऑनलाईन फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि	22 नवम्बर 2024
2	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच कर पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारी तक ऑनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि	29 नवम्बर 2024
3	स्वीकृत अधिकारियों द्वारा समस्त पात्र आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर भुगतान करने की अन्तिम तिथि	31 दिसम्बर 2024

उक्त तिथियों के पश्चात् विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

RajKaj Ref
115772



Signature valid

निदेशक एवं संयुक्त शासक, विद्य
Digitally signed by Sachin
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.06 13:06:28 IST
Reason: Approved

क्रमांक : एफ 9 (4) छात्रवृत्ति/SPL-Com.for SC/2024/17348-68
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 06/11/24

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
18. एनालिस्ट कम प्रोगामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थार्थ सुनिश्चित करवाने, वेबसाइट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
11577236

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.06 13:06:28 IST
Reason: Approved